राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

अत्यावश्यक
स्मार पत्र

संख्या प0नि0–30–113/2025 971

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (पंचायत),
बिहार।

पटना, दिनांक– 10-3-26

विषय :– मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के भंडारण हेतु वेयर हाउस के चयन के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–878 दिनांक–17.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पंचायत/नगरपालिका/आम–उप निर्वाचन को मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के द्वारा कराया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) हैदराबाद से 32200 सी.यू. एवं 193200 बी.यू. मल्टी पोस्ट ई.वी.एम का क्रय किया जा रहा है। मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के एक सेट में एक कन्ट्रोल यूनिट (एस.एम.एम. सहित) एवं छः बैलेट यूनिट शामिल है। मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के साथ अलग से एस.एम.एम. कार्ड एवं टोटलाईजर भी शामिल है जिस पर स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार होगा, जिसका नोडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रहेंगे।

जिला पदाधिकारी, अरवल एवं खगड़िया से ई.वी.एम. भंडारण हेतु वेयर हाउस का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, परन्तु आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। **अतएव ज्ञातव्य हो कि मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के स्थायी भंडारण हेतु निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए वेयर हाउस का स्थान चिन्हित कर आयोग को प्रमाण पत्र के साथ तीन दिनों के अन्दर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाए।**

1. जिले में ई.वी.एम. के भंडारण हेतु वेयर हाउस की स्थापना यथासंभव शासकीय भवन में किया जाएगा।
2. वेयर हाउस के लिए पूर्व से उपलब्ध शासकीय भवन को उपयोग में लाया जा सकता है अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी **बी.सी.डी.** के माध्यम से नए शासकीय भवन का नियमानुसार निर्माण करा सकते है, जो ई.सी.आई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हो।
3. विशेष परिस्थिति में आयोग की अनुमति से लीज पर प्राप्त भवन में भी वेयर हाउस का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु लीज की अवधि 15 वर्ष से कम नहीं होगी। साथ ही साथ वेयर हाउस के लिए लीज पर प्राप्त होने वाले भवन में कोई अन्य वेयर हाउस संचालित नहीं हो रहा हो।
4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से निर्मित वेयर हाउस यदि जिला में उपलब्ध है और उसका उपयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उस भवन को भी चिन्हित किया जा सकता है।
5. ई.वी.एम. वेयर हाउस के निर्धारण के क्रम में सक्षम पदाधिकारी के स्तर से भौतिक स्थिति एवं भवन की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लेंगें।
6. ई.वी.एम. वेयर हाउस में ई.वी.एम. के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं रखा जायेगा।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

7. ई.वी.एम. वेयर हाउस में एक से अधिक प्रवेश द्वार नहीं होंगे और यदि भवन में एक से अधिक दरवाजे और खिड़कियाँ हो तो उसे ईट–सीमेन्ट का प्रयोग कर बन्द करा दिया जाएगा।
8. ई.वी.एम. वेयर हाउस में विद्युत आपुर्ति का मेन स्विच मुख्य द्वार के बाहर रहेगा ताकि वेयर हाउस बंद करने के उपरांत विद्युत आपुर्ति को पुरी तरह से कट कर दिया जा सके।
9. ई.वी.एम. वेयर हाउस के मुख्य द्वार पर Exhaust Fan लगा रहेगा तथा Vaccum Cleaner की व्यवस्था की जाएगी।
10. ई.वी.एम. वेयर हाउस में Fire Safety System और CCTV Camera का Installation अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
11. ई.वी.एम. वेयर हाउस का निर्माण वैसे स्थान पर किया जाए जहाँ नमी, दीमक, बारिश, जीव–जन्तु, चूहों, अग्नि, दरार, जल–जमाव आदि से पूर्णतः सुरक्षित हो। वेयर हाउस में आग बुझाने की समुचित व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए।
12. वेयर हाउस में जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त संख्या में पुलिस/सुरक्षा गार्ड के आवासन हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।
13. वेयर हाउस का निर्माण उस स्थान पर किया जाए जहाँ भारी वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके।
14. वेयर हाउस किसी भी स्थिति में सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/पठन–पाठन कार्य में प्रयुक्त भवन में स्थापित नहीं किया जाएगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/03/26

सचिव।

ज्ञापांक–प.नि. 30–113/2025.......971 पटना, दिनांक–10.3.26

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/26

सचिव।

ज्ञापांक–प.नि. 30–113/2025.......971 पटना, दिनांक–10.3.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/26

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar